न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.)जायल, जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना संख्या 32 / 2021

प्रार्थी –

1. देरामाराम पुत्र हेमाराम
2. घासीराम पुत्र हेमाराम जातियान जाट निवासी ढाकासर तहसील डेह

बनाम

अप्रार्थी –

1. छदामाराम पुत्र मोहनराम
2. बुधाराम पुत्र मोहनराम
3. कैली देवी पत्नि मोहनराम जातियान मेघवाल निवासी ढाकासर
4. रूपाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी चुवाद
5. गोरधनराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी चुवाद
6. रामकुवांर पुत्र हेमाराम
7. रामचन्द्र पुत्र हेमाराम
8. रामनिवास पुत्र हेमाराम
9. रामप्रताप पुत्र हेमाराम
10. विजयकुमार पुत्र हेमाराम जातियान जाट निवासीगण ढाकासर
11. सरकार जरिये तहसीलदार डेह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 भू–राजस्व अधिनियम–1956

1. श्री गोविन्दराम ढाका प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री रामप्रकाश बैन्दा अप्रार्थी संख्या 3, 6 से 10 की ओर से।
3. श्री नरेन्द्रसिंह अप्रार्थी संख्या 4 व 5 कि ओर से
4. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
5. अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार डेह जरिये राजपैरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

दिनांक : 19.12.2024

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय हाजा में पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की भूमि मौजा ढाकासर में प्रार्थी संख्या 1 के नाम से खसरा नम्बर 315 रकबा 0.0890 हैक्टेयर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

उपस्थिति में पुनः उक्त खसरान को नपती किया जावे। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व सिमाज्ञान रिपोर्ट के अवलोकन से प्रार्थीगण की भूमि नक्शा में अधिक एवं मौके पर कम होना व तरमीम सही नहीं होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ढाकासर पटवार हल्का तवंरा, भू.अ. निरीक्षक सुरपालिया तहसील डेह के खेत खसरा नम्बर 315 रकबा 0.0890 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.1007 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 504 रकबा 4.7672 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 504/1 रकबा 12.6424 हैक्टेयर, एवं खसरा नम्बर 778/504 सरकारी भूमि तथा अप्रार्थीगण के मौजा ढाकासर के खेत खसरा नम्बर 314 व मौजा चुवाद के खसरा नम्बर 1 व 22 भूमि का मुताबिक नक्शा लट्‌ठा सीमाज्ञान कर दोनों पक्षों कि उपस्थिति में पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाते हैं। इस बाबत तहसीलदार डेह को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं इनके सहायतार्थ, भू.अ. निरीक्षक सुरपालिया पटवारी हल्का तवंरा व झाड़ेली की राजस्व टीम का गठन किया जाता है। नियमानुसार प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार डेह को मौके पर सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने हेतु आवश्यक साज–सामान उपलब्ध कराने एवं तहसीलदार डेह व राजस्व टीम को मौका कमिश्नर फीस यथा तहसीलदार डेह को 1200/– रूपये व भू.अ. निरीक्षक सुरपालिया को 700/– एवं पटवारी हल्का तंवरा व झाड़ेली को 500–500/– रूपये अदा करने पर भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायी जावे। तहसीलदार डेह को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिकथन)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner